



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बालिया

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

प्रवेश संचाना

जे०एन०सी०य००/प्रवेश/०१/२०२०

दिनांक: ०६.०७.२०२०

शैक्षिक सत्र २०२०-२१ में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एम.ए., एम.काम., एम.एस.डब्ल्यू. पी०जी०डी०सी०ए० तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित एम.कॉम., एम.एड., एल.एल.बी., बी.पी.एड., बी.सी.ए., बी.एस-सी.(कृषि), एम.एस-सी.(कृषि) एवं बी०एल०एड० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अह अस्थर्थियों से दिनांक ३१ जुलाई, २०२० तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पाठ्यक्रमवार शैक्षिक अहताएं, उपलब्ध सीटों की संख्या, अन्य विवरण एवं सामान्य नियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jncu.ac.in पर उपलब्ध हैं।

कुलसचिव

| क्र०सं० | विवरण | तिथि |
|---------|------------------------------------|----------------|
| 1 | आनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि | ०६ जुलाई, २०२० |
| 2 | आनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि | ३१ जुलाई, २०२० |

प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम, उपलब्ध सीटें एवं शैक्षिक अहता

| क्र० | पाठ्यक्रमों का विवरण | कुल सीट | शैक्षिक अहताएँ |
|------|---|---------|---|
| 1 | विश्वविद्यालय परिसर के पाठ्यक्रम <ul style="list-style-type: none"> (i) एम०ए० हिन्दी 60 (ii) एम०ए० अंग्रेजी 60 (iii) एम०ए० समाजशास्त्र 60 (iv) एम०ए० राजनीतिशास्त्र 60 (v) एम०ए० अर्थशास्त्र 60 (vi) एम०ए० प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व 60 (vii) एम०ए० मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास 60 (viii) एम०ए० गृहविज्ञान 30 (ix) मास्टर आफ सोशल वर्क 60 (x) एम०कॉम० 60 | | सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण |

8

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (xi) पी०जी०डी०सी०ए० (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम। शासन से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त प्रवेश दिये जायेंगे।) | 30 | ऐसे स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 स्तर पर गणित एक विषय के रूप में पढ़ा हो। |
| 2 | सम्बद्ध महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम (i) एम०एस–सी० (कृषि) (क) कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी (ख) कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान (ग) आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन (ii) एम०कॉम० (iii) एम०एड० (iv) त्रिबर्षीय एल०एल०बी० (v) बी०पी०एड० (vi) बी०सी०ए० (vii) बी०एससी० (कृषि) (viii) बी०एलएड० | 20 20 20 60 100 340 150 60 120 200 | बी०एस–सी०(कृषि) चार वर्षीय पाठ्यक्रम उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी०कॉम० उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी०एड० उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी एन०सी०टी०ई० के अर्हतानुसार अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट / 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा गणित वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट / 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान/कृषि विषयों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट / 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी |

नोट:- 1. उपर्युक्त पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जायेगा। परन्तु प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के सापेक्ष ढेढ़ गुने से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा, तथा अर्हता परीक्षा की मेरिट के अनुसार सीधे प्रवेश दे दिया जायेगा।

2. प्रवेश परीक्षा की तिथियों बाद में घोषित करते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी। अतः नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

1. एम०ए०, एम०काम०, एम०एससी० (कृषि) तथा एम०एड० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर के सम्बन्धित पाठ्यक्रम से कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार (आज्ञेकिटव टाईप) के प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर ओ०ए०आर० पत्रक पर देना होगा।
2. बी०पी०एड०, बी०सी०ए०, एल०एल०बी०, एम०एस०डब्ल०, पी०जी०डी०सी०ए० एवं बी०एल०एड० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्य अध्ययन के कुल 100 वस्तुनिष्ठ (आज्ञेकिटव टाईप) प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर ओ०ए०आर० पत्रक पर देना होगा।
3. बी०एससी० (कृषि) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर के कृषि एवं विज्ञान के पाठ्यक्रमों से कुल 100 वस्तुनिष्ठ (आज्ञेकिटव टाईप) प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसमें 25 प्रतिशत सामान्य अध्ययन से तथा शेष 75 प्रतिशत प्रश्न कृषि एवं विज्ञान से पूछे जायेंगे।

प्रवेश हेतु सामान्य नियम

1. प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jncu.ac.in पर दी जायेगी। अतएव अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
2. आनलाईन आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क रु० 500/- प्रति अभ्यर्थी देय होगा। परन्तु एस०सी०/एस०टी०/दिव्यांगजनों हेतु शुल्क रु 300/- होगा। आवेदन शुल्क आनलाईन नेट बैंकिंग/एन०ई०एफ०टी०/डेबिट कार्ड के माध्यम से JNCU ENTRANCE EXAMINATION FEE ACCOUNT एच०डी०एफ०सी० बैंक के खाता संख्या 50100278460617 IFSC Code HDFC0001885 में जमा किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी जिस विषय/पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होगा, उसी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपने आवेदन श्रेणी में ही प्रवेश अनुमत्य होगा, वशर्ते कि वह अर्ह हो तथा मेरिट क्रम में आता हो।
4. यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु एक से अधिक (अधिकतम तीन) विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग आनलाईन आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ करना होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र स्वयं भरा जायेगा तथा अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
6. उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले दिशा-निर्देश आवेदक को मान्य होंगे।
7. प्रवेश के समय नियमानुसार सीटों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।
8. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश अधिनियम के प्राविधान पूर्णतः लागू होंगे। आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जायेगा।

✓

9. उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों का प्रवेश निर्धारित कुल सीटों का 5 (पांच) प्रतिशत होगा।
10. प्रवेश के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र मूल रूप में लाना अनिवार्य होगा। टी०सी०/माइग्रेशन प्रमाण—पत्र प्रवेश के समय मूलरूप में जमा करना होगा। उपर्युक्त के अभाव में प्रवेश प्रदान नहीं किया जायेगा तथा मेरिट क्रम में अगले अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आंमत्रित किया जायेगा।
11. सम्बन्धित विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रदान किये जाने के उपरान्त शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क तीन दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
12. गलत/भ्रामक सूचनाओं के आधार पर किया गया प्रवेश, शुल्क जमा करने के बाद भी निरस्त किया जा सकता है।
13. यदि किसी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के आवेदन—पत्रों की संख्या डेढ़ गुने से कम होगी तो उस विषय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। ऐसी दशा में प्रवेश नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
14. यदि त्रुटिवश किसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश—पत्र निर्गत हो जाता है, तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि अभ्यर्थी के प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं परीक्षाफल/प्रवेश निरस्त कर दें।
15. ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो पुलिस रिकार्ड के अनुसार किसी अभियोग में पंजीकृत अथवा नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा यदि तथ्य छिपाकर प्रवेश प्राप्त कर लिया गया है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
16. मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग अथवा अन्य किसी असंवैधानिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर बिना कारण बताये छात्र को परिसर/महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा। प्रवेश के समय इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. किसी भी छात्र को एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
18. एक अभ्यर्थी अधिकतम तीन पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है।
19. एम०एससी० (कृषि) में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी एक आवेदन पत्र भरेंगे तथा विषय का आवंटन मेरिट क्रम में काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

नोट:-

1. स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्र किसी अन्य विषय से पुनः एम०ए० करने हेतु अहं नहीं होंगे।
2. किसी भी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम दो वर्ष का अंतराल अनुमन्य होगा।
3. जिन पाठ्यक्रमों का संचालन दो अथवा दो से अधिक महाविद्यालय में होता है तो उन पाठ्यक्रमों को ही आनलाईन काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी। शेष विषयों/पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश सूची निर्गत करते हुए प्रवेश प्रदान कर दिये जायेंगे।

5

प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

1. अनुसूचित जाति के लिये 21%, अनुसूचित जन जाति के लिये 02% तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% स्थान आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों।

2. क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

- (क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एव पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्ठीय संघात) के लिए पृथक—पृथक एक प्रतिशत (1%) स्थान कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यांगता 60% या 60% से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
- (ग) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र—पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
- (घ) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा। महिलाओं के कुल आरक्षित सीटों में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा।
- (ङ) उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 14 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

3. अधिभार (Weightage) के नियम:—

| विवरण | भारांक |
|--|--------|
| राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिभार दिया जायेगा:— | |
| 1. एकल प्रतियोगिता | 15 |
| 2. समूह प्रतियोगिता | 10 |
| 3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालयीय टूर्नामेंट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिता | 10 |
| नेशनल कैंडिट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी | |
| 1. नेशनल कैंडिट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण—पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को | 15 |

C/

| | |
|---|--|
| या 2. नेशनल कैडिट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को या 3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 या 2 से अधिक शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को या 4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को या 5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को या 6. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को या 7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को या 8. स्काउट एवं गाइड्स ध्रुवपद या गुरुपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को | 15 15 10 05 15 10 05 |
| 1. स्वंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या अविवाहित पुत्री को 2. ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे कर्मचारी से पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बंधित हो। 3. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी०ए०सी० या बी०ए०स०एफ या एस०ए०स०बी० या आई०टी०बी०पी० या सी०आर०पी०एफ० या होमगार्ड में सेवारत हो या सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो गये हो, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए) 4. ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तकालशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा) | 15 |

नोट:- अधिकतम अधिमार केवल 25 गुणांक ही देय होगा।


कुलसंचिव